CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
फोन/फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई-मेल : ceglko.up@gmail.com

CEG/P/9/SI/95/2024
6.7.2024

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल, उ0प्र0।

2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2022/1313/78-2-2022-ई-268634 दिनांक 17.10.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को सीधे इन्टरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। तत्क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्रांक-35-37/नि0दे0म0क0/पेंशन/सुमंगला/विविध-2/2024-25 दिनांक 24.04.2024 एवं 29.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 47 विभागों की 324 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसका अनुश्रवण निरंतर उच्च स्तर पर किया जा रहा है।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में **महिला एवं बाल विकास विभाग** की निम्न सेवा को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल पर इंटीग्रेटेड रूप में आम जनमानस को उपलब्ध करा दी गयी हैं:-

विभाग	सेवा का नाम
महिला एवं बाल विकास विभाग	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

4- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही उसी तरह की जायेगी, जिस तरह वे वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल (https://mksy.up.gov.in) पर कर रहे हैं।

6- उपरोक्त सेवायें आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-19/ 2020/1085/78-2-2020-34आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** में निर्धारित यूजर चार्जेज की शुल्क धनराशि रू0 30.00 जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस से प्राप्त की जायेगी, जोकि विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अंश विभाजन निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	**सेवा**	**यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)**				
1	विभाग की सेवा	डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
		15	03	10	02	30

7- उक्त के क्रम में आवेदक के अनुरोध पर जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल (https://mksy.up.gov.in) पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुये सेवा प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Neha Jain
Date: 06-07-2024 11:04:40

(नेहा जैन)
राज्य समन्वयक

<u>**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**</u>

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवा के सम्बन्ध में विभागीय शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें तथा उपरोक्त सेवा को ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल से भी इंटीग्रेट करायें।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
4. श्री शैलेष श्रीवास्तव, सीनियर डायरेक्टर, आई.टी., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवा को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्रदर्शित करायें।
5. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करते हुये आम जनमानस को सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मै0 मार्गसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, लखनऊ।

महत्वपूर्ण।

संख्या-30 /2022 /1313/78-2-2022- ई-268634

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्रा
मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/ सचिव,
खाद्य एवं रसद, नगर विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, ऊर्जा, श्रम एवं सेवायोजन, परिवहन एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 अक्टूबर,2022

विषयः आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में आम जनमानस को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए सुझाए गये विभिन्न सुधारों हेतु 'ईज ऑफ लिविंग' के अन्तर्गत 'ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरूप पंजीयन तथा स्वीकृतियों /सुविधा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी नागरिक सेवाओं के पंजीयन, स्वीकृतियों, प्रमाणपत्रों इत्यादि को ऑनलाइन प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सीईजी) के माध्यम से एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विन्डो पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) विकसित किया गया है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को बी.आर.ए.पी. 2022 में प्रदेश का सिंगल विंडो पोर्टल निर्धारित किया गया है।

2- वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की कतिपय सेवायें जन सेवा केन्द्रों एवं सीधे इंटरनेट के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही हैं। सीएससी 3.0 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में 1.85 लाख से अधिक जन सेवा केन्द्र स्थापित करते हुये इनके माध्यम से भी ये सेवायें आमजनमानस को सुगमता एवं सरलता से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3- भारत सरकार द्वारा बी.ए.आर.पी. 2022 फेज-1 अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं का चयन किया गया है, जिनको प्रदेश के सिंगल विन्डो पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से आमजनमानस को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाना है:-

क्रमांक	सेवा का विवरण	क्रमांक	सेवा का विवरण
1	नया राशन कार्ड	8	मृत्यु प्रमाण पत्र
2	नया ड्राइविंग लाइसेंस	9	जन्म प्रमाण पत्र
3	विवाह पंजीकरण	10	एल0पी0जी0 कनेक्शन
4	भार मुक्त प्रमाण पत्र	11	पीएमजेएवाई /स्टेट हेल्थ कार्ड
5	सेवायोजन हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण	12	आय प्रमाण पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	झटपट पोर्टल (नागरिकों हेतु नए विद्युत कनेक्शन)	**13**	जाति प्रमाण पत्र
7	पेयजल कनेक्शन	**14**	निवास प्रमाण पत्र

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में प्रदेश सरकार की जो भी सेवायें ऑनलाईन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुये आम जनमानस को सीधे इंटरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

4- आम जनमानस द्वारा जन सेवा केन्द्रों एवं ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्जेज के अंश विभाजन की व्यवस्था आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-19/2020/1085-78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2022 अनुसार रहेगी।

5- सेवा प्रदाता विभाग आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा दी गयी गाईडलाईन्स के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेशन सुनिश्चित करेंगे।

6- सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को आम जनमानस द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.up.gov.in पर आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत होगीः-

6.1 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कोर सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1278/78-2-2014-53 आई0टी0/ 2008 टीसी दिनांक 25-11-2014 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/1101/78-2- 2020-आई.टी./2010, दिनांक 03.12.2022 के अनुसार होगी।

6.2 आवेदक द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

6.2.1 सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु https://edistrict.up.gov.in पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से निर्धारित व्यवस्थानुसार अपना पंजीयन करेंगे।

6.2.2 पंजीकरण उपरान्त आवेदक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन फार्म भरा जायेगा, जिसके उपरान्त ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान किया जाना होगा।

6.2.3 आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान के उपरान्त सेवा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा विकसित पोर्टल, जो कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, पर भरी जायेगी।

6.2.4 सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गयी जानकारियां आवेदक द्वारा पुन: नहीं भरायी जायें।

6.2.5 तदोपरान्त आवेदक द्वारा विभागीय ई-फार्म पर इंट्री की जायेगी।

6.2.6 आवेदक ई-फार्म में एण्ट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चत करेंगे कि मांगे गये समस्त अभिलेख उसके पास हो।

6.2.7 तत्पश्चात आवेदक आवश्यक अभिलेख को पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता जांचने के उपरान्त, आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट करेंगे।

6.2.8 ऑनलाइन ई-फार्म पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा विभागीय प्रक्रिया अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.9 तत्पश्चात यदि विभाग द्वारा सेवा शुल्क निर्धारित है, तो उस दशा में आवेदक द्वारा विभागीय पेमेंट गेट-वे का उपयोग करते हुये अतिरिक्त निर्धारित शुल्क दिया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.2.10 पोर्टल द्वारा आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

6.2.11 तदोपरान्त आवेदन सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर अग्रसारित कर दिया जायेगा।

6.2.12 सेवा सम्बन्धी विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड सेवाओं हेतु आमजनमानस का पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जायेगा।

6.2.13 तत्पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये आवेदन का निस्तारण किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को इंटीग्रेट मोड में ए.पी.आई. द्वारा प्रदान की जायेगी।

7- वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक माह में अधिकतम 10 बार आवेदन करने की व्यवस्था है। उक्त के क्रम में नवीन व्यवस्था में एक रजिस्ट्रेशन आई.डी. से प्रत्येक सेवा हेतु एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 10 बार ही आवेदन किया जा सकेगा।

8- विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक सेवाओं हेतु निर्धारित की गई समयावधि में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के दायरे में लाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही नागरिकों को सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (Single Window Platform) का उपयोग करके सीधे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

<u>संख्या-30/2022 /1313 (1)/78-2-2014 तददिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव /सचिव, समस्त विभाग (उपरोक्त विभागों को छोड़कर) को इस आशय के साथ प्रेषित की भविष्य में उनके विभाग की सेवायें ऑनलाईन करते हुये उक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करायी जायें।
2. स्टॉफ ऑफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
4. निजी सचिव,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आई.ओ.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

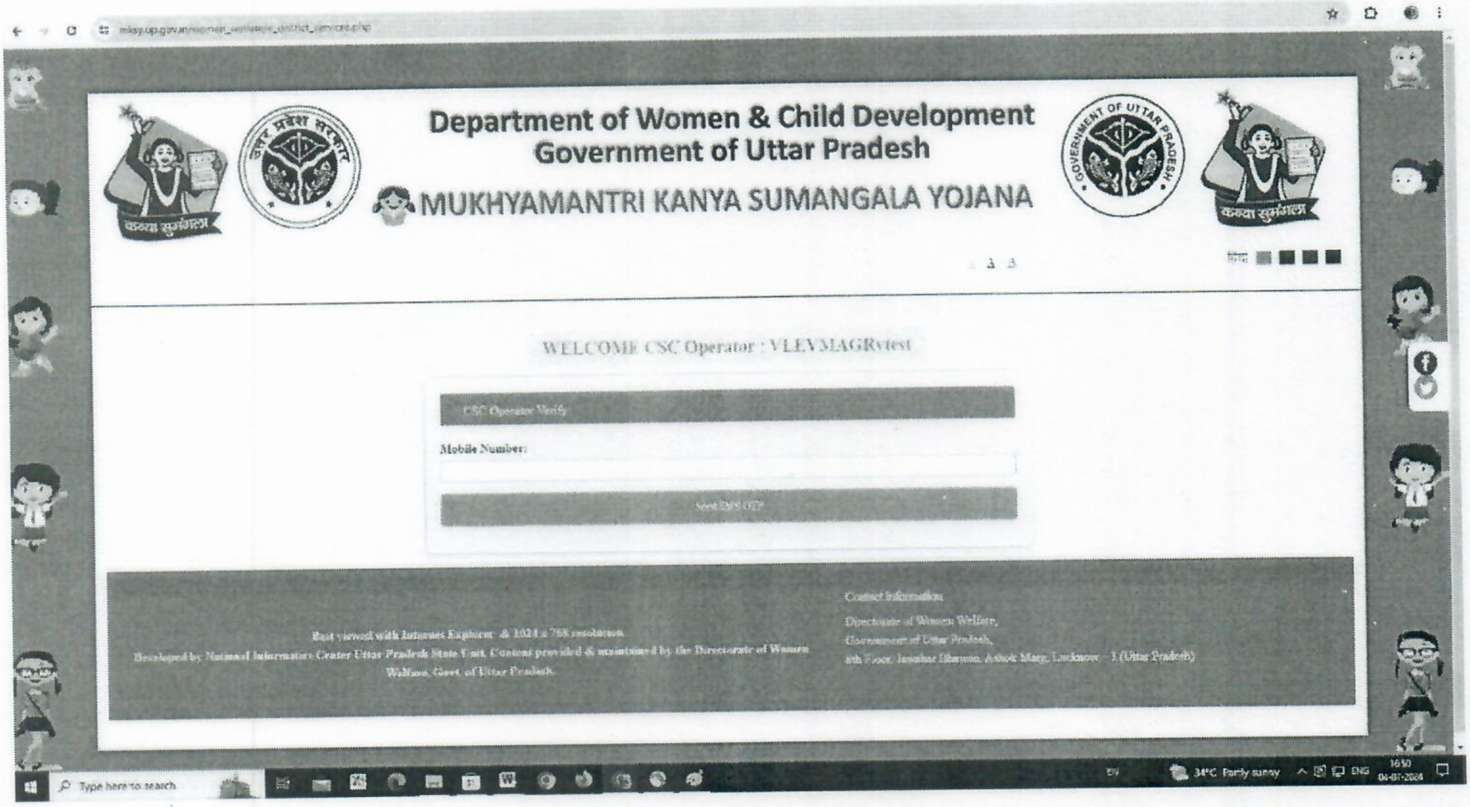
Department of Women & Child Development
Government of Uttar Pradesh
MUKHYAMANTRI KANYA SUMANGALA YOJANA
WELCOME CSC Operator : VLEVMAGRvtest
CSC Operator Verify
Mobile Number:
Contact Information
Directorate of Women Welfare,
Government of Uttar Pradesh,
Type here to search
34°C Partly sunny

eDistrict
UTTAR PRADESH

Department Registration Form
for
Integration With e-District Portal

Department Name: **Department of Women and Child Development**

विभाग का नाम: महिला एवं बाल विकास विभाग

Services:

S. No.	Service Name	सेवा का नाम
1	Mukhyamantri kanya Sumangala yojana	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

Contact Details	Department Nodal	Technical Nodal
Name	ASHUTOSH KUMAR SINGH	AMITA SRIVASTAVA
Email Address	gmsrcwc@gmail.com.	
Mobile	7518024178	
Designation	Dy. Director	Sr. Tech. Director.

Note: All fields are mandatory

29/04/2024

Dated: 29/04/24.

[Signature of Department Nodal officer with Official Stamp]

Integrated Department Services

Close

Sn	Department	Sn	Department	Sn	Department
1.	Labour Department (Labour Board)	2.	Labour Department 2	3.	Food And Civil Supplies(Ration Card)
4	Department of Training & Employment	5	Local Bodies	6.	Lok Shikayat Vibhag(IGRS)
7.	Commercial Taxes (Services Discontinued)	8.	Food & Drug Department	9.	Agriculture Department
10.	Dharmarth Karya Vibhag	11.	**Power Department** 1- Rural (a). Power Department(Complaint Register) (b). Power Department(Other)	12.	Entertainment Tax Department
13.	Police Department	14.	Technical Education Department	15.	Stamp & Registration Department
16.	**Transport Department** a). VAHAN SEVA b). SAARTHI SEVA	17.	Medical Health & Family Welfare Department	18.	Animal Husbandry Department
19.	Vocational Education & Kaushal Vikas Department	20.	UP Public Works Department	21.	Dairy Development Department
22.	Women Welfare Department	23.	Khadi and Gramudyog Board	24.	UP Metrology (weights & measures) Department
25.	Excise Department	26.	Madhyamik Shiksha Parishad	27.	Department of Horticulture and Food Processing
28	Food Safety and Drug Administration Department	29.	Housing and Urban Planning Department	30.	UP Fire Service
31.	Fisheries Department	32.	Ground Water Department	33.	UPSSB Labour Department
34.	NRI Department	35.	Geology and Mining Department	36.	Planning Department(Application for family ID)
37.	Environment, Forest and Climate Change Department	38.	Youth Welfare & PRD Department services	39.	Sports Department services
40.	Nideshalaya Sainik Kalyan and Punarwaas	41.	Uttar Pradesh Pradeshik Cooperative Federation Ltd	42.	Administrative Reforms Department (R.T.I.)
43.	Women Welfare and Child Development Department				

Type here to search

EN 34°C Partly sunny ENG 16:49 04-07-2024

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   डी.ई.जी.एस. सोसाइटी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विषयः राज्य में जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.-3.0) परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई.टी. एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-497/78-2-2019-34आईटी/2010 दिनांक 13 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.-3.0) परियोजना अन्तर्गत शासकीय सेवायें प्रदान किये जाने के लिये यूज़र चार्ज़ का निर्धारण तथा सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं के चयन हेतु आर.एफ.पी. (RFP) प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में राज्य समन्वयक, सीईजी ने अपने पत्र संख्या–सीईजी /जी/148/196 /2020 दिनांक 15-10-2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) द्वारा सी.एस.सी.-3.0 परियोजना की आर.एफ.पी. का प्रकाशन कर निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। राज्य स्तर पर दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 को सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 (सी.ई.जी.) द्वारा समस्त डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सी.एस.सी.-3.0 की आर.एफ.पी. में उल्लिखित नियमों के अनुसार प्रति जनपद 02 डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन कर सभी 75 जनपदों में आवंटन पूर्ण कर लिया गया है। आर. एफ.पी. के अनुसार समस्त 75 जनपदों को 3 श्रेणियों में दर्शाते हुए प्रति जनपद चयनित 02 डी.एस.पी. संस्थाओं की सूची इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

3- प्रति जनपद नवीन 02 डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन पूर्ण होने के उपरान्त सी.एस.सी.-3.0 परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु परियोजना से सम्बन्धित सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा सी.एस.सी.-3.0 की आर.एफ.पी. में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13-7-2020 के अनुसार सी.एस.सी.-3.0 परियोजना की नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(https://edistrict.up.gov.in/) पर उपलब्ध प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक आवेदन के लिये निम्नानुसार यूज़र चार्ज़ लिया जायेगा जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् होगाः-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0) में				
		डी0एस0पी0/ वी0एल0ई0	सम्बन्धित विभाग	डी0ई0जी0एस0	सी0ई0 जी0	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1-	समस्त जी2सी सेवायें	15	03	10	02	30

5- सी.एस.सी.-3.0 परियोजना दिनांक 16 नवम्बर, 2020 से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रभावी होगी।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स से आवश्यक समस्त कार्यवाही समयबद्व रूप से पूर्ण कराते हुए सी.एस.सी.-3.0 परियोजना का संचालन निर्धारित तिथि से किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्याः तद्दिनॉक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15-10-2020 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं नवीन चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही समयबद्व ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-19/2020/1085 /78-2-2020-**34** आई.टी/2017टीसी का संलग्नक-1

प्रति जनपद चयनित 02 संस्थाओं की सूची।

SN	District Name	Category	Selected D.S.P.
1	Shravasti	C	CSC e-Governance Services India Limited
			India Power Corporation Limited
2	Chitrakoot	C	VAYAM Technologies Ltd
			ITI Limited
3	Gautambudh Nagar	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC WiFi Chaupal
4	Balrampur	C	CSC e-Governance Services India Limited
			BLS International Services Limited
5	Mahoba	C	India Power Corporation Ltd
			CSC e-Governance Services India Limited
6	Hapur	C	India Power Corporation Limited
			CSC WiFi Chaupal
7	Hamirpur	C	India Power Corporation Limited
			CSC WiFi Chaupal
8	Baghpat	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC WiFi Chaupal
9	Kasganj	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC e-Governance Services India Limited
10	Santkabir Nagar	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			BLS International Services Limited
11	Bahraich	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC e-Governance Services India Limited
12	Siddharthnagar	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC e-Governance Services India Limited
13	Auraiya	C	CSC e-Governance Services India Limited
			CMS Computers Ltd
14	Banda	C	India Power Corporation Limited
			CSC e-Governance Services India Limited
15	Etah	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC e-Governance Services India Limited
16	Sonbhadra	C	India Power Corporation Limited
			CSC e-Governance Services India Limited
17	Chandauli	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC WiFi Chaupal
18	Sambhal	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC WiFi Chaupal
19	Shamli	C	CSC WiFi Chaupal
			BLS International Services Limited
20	Bhadohi	C	SREI Infrastructure Finance Ltd
			BLS International Services Limited
21	Ghaziabad	B	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC WiFi Chaupal
22	Rampur	B	CSC WiFi Chaupal
			SNR eDATA Pvt Ltd
23	Amethi	B	CSC e-Governance Services India Limited
			Center for Technology and Entrepreneurship Development
24	Lalitpur	B	India Power Corporation Limited
			CSC e-Governance Services India Limited
25	Kaushambi	B	SREI Infrastructure Finance Ltd
			CSC e-Governance Services India Limited

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

26	Hathras	B	CSC e-Governance Services India Limited CMS Computers Ltd
27	Pilibhit	B	India Power Corporation Limited CSC e-Governance Services India Limited
28	Amroha	B	India Power Corporation Limited CSC WiFi Chaupal
29	Kanpur Dehat	B	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC WiFi Chaupal
30	Mathura	B	VAYAM Technologies Ltd BLS International Services Limited
31	Mainpuri	B	India Power Corporation Limited CSC e-Governance Services India Limited
32	Jalaun	B	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC e-Governance Services India Limited
33	Maharajganj	B	India Power Corporation Limited BLS International Services Limited
34	Farrukhabad	B	CSC WiFi Chaupal BLS International Services Limited
35	Basti	B	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC e-Governance Services India Limited
36	Gonda	B	India Power Corporation Limited CSC e-Governance Services India Limited
37	Raebareili	B	VAYAM Technologies Ltd India Power Corporation Limited
38	Etawah	B	CSC e-Governance Services India Limited CMS Computers Ltd
39	Jhansi	B	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
40	Kannauj	B	SREI Infrastructure Finance Ltd CMS Computers Ltd
41	Firozabad	B	VAYAM Technologies Ltd CSC WiFi Chaupal
42	Mirzapur	B	VAYAM Technologies Ltd BLS International Services Limited
43	Fatehpur	B	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
44	Bulandshahr	B	CSC WiFi Chaupal VAYAM Technologies Ltd
45	Budaun	B	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
46	Shahjahanpur	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
47	Kushinagar	A	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC e-Governance Services India Limited
48	Barabanki	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
49	Muzaffarnagar	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
50	Moradabad	A	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC WiFi Chaupal
51	Sultanpur	A	VAYAM Technologies Ltd I-Net Secure Lab
52	Ayodhya	A	VAYAM Technologies Ltd BLS International Services Limited

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

53	Mau	A	VAYAM Technologies Ltd India Power Corporation Limited
54	Lucknow	A	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC WiFi Chaupal
55	Varanasi	A	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
56	Saharanpur	A	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC e-Governance Services India Limited
57	Bijnor	A	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
58	Meerut	A	SREI Infrastructure Finance Ltd Nekton India Pvt. Ltd
59	Agra	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
60	Unnao	A	VAYAM Technologies Ltd India Power Corporation Limited
61	Ambedkarnagar	A	VAYAM Technologies Ltd India Power Corporation Limited
62	Aligarh	A	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
63	Deoria	A	India Power Corporation Limited CSC e-Governance Services India Limited
64	Kanpur Nagar	A	BLS International Services Limited CMS Computers Ltd
65	Gorakhpur	A	SREI Infrastructure Finance Ltd BLS International Services Limited
66	Bareilly	A	KND Engineers and Consultants(India) Pvt. Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
67	Ballia	A	VAYAM Technologies Ltd BLS International Services Limited
68	Hardoi	A	VAYAM Technologies Ltd India Power Corporation Limited
69	Pratapgarh	A	SREI Infrastructure Finance Ltd CSC e-Governance Services India Limited
70	Kheri	A	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
71	Sitapur	A	SREI Infrastructure Finance Ltd VAYAM Technologies Ltd
72	Jaunpur	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
73	Ghazipur	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
74	Azamgarh	A	VAYAM Technologies Ltd SREI Infrastructure Finance Ltd
75	Prayagraj	A	VAYAM Technologies Ltd India Power Corporation Limited

बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

35-37

ई–मेल

संख्याः 35-37 / निदे0म0क0 / पेंशन / सुमंगला / विविध–2 / 2024–25

प्रेषक,

उप निदेशक,
महिला कल्याण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमती अमिता श्रीवास्तव,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0, लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2024

विषय–प्रदेश सरकार की शासकीय सेवाओं को आम जनमानस को सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस उ0प्र0 के पत्र दिनांक 15.04.2024 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–30 / 2022 / 1313 / 78–2–2022–ई–268634 दिनांक 17.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए जनमानस को सीधे इण्टरनेट एवं जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, के अनुक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अतिरिक्त अन्य ऑनलाइन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किये जाने हेतु चयनित संस्था के साथ समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशुतोष कुमार सिंह)
उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी /
उप निदेशक।

पृष्ठांकन व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस उ0प्र0, प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करने के लिए चयनित संस्था मे0 मार्गसाफ्ट को विभाग / तकनीकी टीम से समन्वय हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। इस हेतु अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष संख्या–7518024178 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(आशुतोष कुमार सिंह)
उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी /
उप निदेशक।